

कार्यालय ज्ञाप

कृपया प्रशासनिक सुधार अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन के पत्र दिनांक 21.09.2017 के अनुसार जनसूचना अधिकार अधिनियम-2005 की धारा-5(1) के अन्तर्गत प्रत्येक लोक प्राधिकरण में आवेदकों से प्रार्थना पत्र प्राप्त करने व सूचना प्रदान करने हेतु जन सूचना अधिकारी तथा अधिनियम की धारा-19(1) के अन्तर्गत प्रथम अपील की सुनवाई हेतु प्रथम अपीलीय प्राधिकारी को नामित किये जाने का प्राविधान है।

2- उपरोक्त सम्बन्ध में श्री अरविन्द कुमार मौर्य, पुलिस अधीक्षक, यातायात निदेशालय, उ0प्र0 को जनसूचना अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत प्राप्त अपीलों की सुनवाई हेतु प्रथम अपीलीय अधिकारी नामित किया जाता है।

(बी0डी0 पॉल्सन)

अपर पुलिस महानिदेशक / निदेशक,
यातायात एवं सड़क सुरक्षा,
उत्तर प्रदेश

यातायात निदेशालय, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय भवन (सिग्नेचर बिल्डिंग)

फोन: 0522-2390468 फैक्स: 0522-2724054

चतुर्थ तल, टावर-4 गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ

ईमेल- dirtraffic@nic.in

पत्र संख्या: डीटी-854-2017 / 1059

दिनांक: लखनऊ: अप्रैल 10, 2024

प्रतिलिपि: पुलिस अधीक्षक, यातायात निदेशालय, उ0प्र0 को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि: अपर पुलिस अधीक्षक / जनसूचना अधिकारी, यातायात निदेशालय, उ0प्र0 को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि: प्रभारी आई0टी0 सेल, यातायात निदेशालय, उ0प्र0 को इस आशय से कि उक्त विवरण विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि: प्रभारी डिस्पैच, यातायात निदेशालय, उ0प्र0 को इस आशय से कि उक्त विवरण यातायात निदेशालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करना सुनिश्चित करें।